

न्यायालय – मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सतना, जिला–सतना (म.प्र.)

(दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 14 व 15 के अंतर्गत आपराधिक कार्य विभाजन)

कार्य विभाजन आदेश वर्ष—2022

दण्ड प्रक्रिया संहिता—1973 की धारा—15(2) के अंतर्गत प्रदल्ल शक्तियों के आधीन सतना जिले में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटगण के मध्य आपराधिक प्रकरणों के संबंध में उचित रूप से कार्य निर्वहन हेतु पूर्व में जारी समस्त कार्य विभाजन आदेशों को निरस्त करते हुए, निम्न कार्य विभाजन आदेश लागू किया जाता है, जो माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय सतना के अनुमोदन के, अध्याधीन अनुमोदन उपरांत तत्काल प्रभावशील होगा।

क्र.	न्यायिक मजिस्ट्रेट,	अधिकार क्षेत्र	कार्य— विभाजन
1	मुख्य न्यायिक दलाधिकारी सतना (म.प्र.0)	संपूर्ण जिला—सतना	<p>(A)—जिला स्थापना के अंतर्गत सभी पुलिस आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत आपराधिक मामलों की समस्त खारिजी रिपोर्ट (ई.आर.)।</p> <p>(B)—मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत धारा—113/ 194 ओवरलोड के मामले।</p> <p>(C)—म.प्र.0सिनेमा(रेगुलेशन) अधिनियम—1952</p> <p>(D)—भारतीय औषधि अधिनियम।</p> <p>(E)—पासपोर्ट अधिनियम।</p> <p>(F)—बालश्रमिक अधिनियम एवं बाल श्रमिक से संबंधित अन्य अधिनियम।</p> <p>(G)—म.प्र.0दुकान एवं संस्थापना अधिनियम—1958</p> <p>(H)—नापतोल अधिनियम—1985</p> <p>(I)—कारखाना अधिनियम से संबंधित मामले।</p> <p>(J)—क्षेत्रीय परिवहन अधिनियम सतना के मामले।</p> <p>(K)—म.प्र.0 नगर निगम अधिनियम के तहत नगर निगम सतना द्वारा प्रस्तुत आपराधिक मामले।</p> <p>(L)—अन्य अधिनियम से संबंधित ऐसे प्रकरण, जिनका उल्लेख पृथक से कार्य विभाजन पत्रक में नहीं किया गया है एवं जिनमें अर्थदण्ड न्यूनतम 10,000/- रुपये से अधिक करने का ग्रावधान है।</p> <p>(M)—संपूर्ण जिला मुख्यालय सतना में उद्भूत केवल माइनिंग लौं से उत्पन्न सभी प्रकरण।</p>
		(2) आरक्षी केन्द्र कोलगवाँ, जी0आर0पी0 सतना एवं यातायात सतना	<p>(A)—आरक्षी केन्द्र कोलगवाँ, यातायात एवं जी0आर0पी0 सतना के सीमान्तर्गत क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण (परिवाद पत्र मामलों, द.0प्र.0स.0 की धारा—125 से 128 तक एवं दि0 मुस्लिम बूमेन एक्ट—1986 के आधीन प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्र, पराकाम्य लिखित अधिनियम की धारा—138 के तहत पेश होने वाले परिवाद मामलों को छोड़कर) (ग्राम न्यायालय अधिनियम—2008 की पहली अनुसूची के भाग—1 व भाग—2 में वर्णित धाराओं/अधिनियमों के अंतर्गत उद्भूत समस्त आपराधिक प्रकरण/परिवाद जो राजस्व तहसील सतना की क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायत के अंतर्गत आते</p>

			हैं, को छोड़कर)
2	श्री भूपेश कुमार मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सतना (म0प्र0)	आरक्षी केन्द्र-सिटी कोतवाली	(B) -आबकारी विभाग वृत्त सतना कमांक-1, वृत्त सतना कमांक-2 एवं वृत्त कोटी के आबकारी विभाग के समस्त प्रकरण।
			(A) -आरक्षी केन्द्र सिटी कोतवाली के सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले (ग्राम न्यायालय अधिनियम-2008 की पहली अनुसूची के भाग-1 व भाग-2 में वर्णित धाराओं/अधिनियमों के अंतर्गत उद्भूत समस्त आपराधिक प्रकरण/परिवाद जो राजस्व तहसील सतना की क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायत के अंतर्गत आते हैं, को छोड़कर) समस्त नियमित आपराधिक एवं परिवाद पर कायम आपराधिक मामले।
			(B) -आरक्षी केन्द्र कोतवाली की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले द0प्र0स0 की धारा 125 लगायत 128 के आधीन भरण-पोषण दिलाए जाने संबंधी आवेदन एवं दा० मुस्लिम बूमेन अधि० 1986 तथा द॑रेलू हिसा से महिला संरक्षण अधिनियम-2005 के आधीन प्रस्तुत आवेदन। (फैमिली कोर्ट की अधिकारिता को छोड़कर)
			(C) -समय-समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण।
		सम्पूर्ण जिला मुख्यालय सतना	(D) -सम्पूर्ण जिला मुख्यालय सतना में उद्भूत बन विधि एवं बन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम से उत्पन्न सभी प्रकरण।
3	रिक्त	संपूर्ण सतना जिला	किशोर न्यायालय से संबंधित सभी प्रकरण।
4	श्रीमती शक्ती वर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सतना (म0प्र0)	आरक्षी केन्द्र-जैतवारा	(A) -आरक्षी केन्द्र जैतवारा के सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले (ग्राम न्यायालय अधिनियम-2008 की पहली अनुसूची के भाग-1 व भाग-2 में वर्णित धाराओं/अधिनियमों के अंतर्गत उद्भूत समस्त आपराधिक प्रकरण/परिवाद जो राजस्व तहसील सतना की क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायत के अंतर्गत आते हैं, को छोड़कर) समस्त नियमित आपराधिक एवं परिवाद पर कायम आपराधिक मामले।
			(B) -आरक्षी केन्द्र जैतवारा की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले द0प्र0स0 की धारा 125 लगायत 128 के आधीन भरण-पोषण दिलाए जाने संबंधी आवेदन एवं दा० मुस्लिम बूमेन अधि० 1986 तथा द॑रेलू हिसा से महिला संरक्षण अधिनियम-2005 के आधीन प्रस्तुत आवेदन। (फैमिली कोर्ट की अधिकारिता को छोड़कर)

			(C) -समय-समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण। (D) -आरक्षी केन्द्र कोलगवों की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले (ग्राम न्यायालय अधिनियम-2008 की पहली अनुसूची के भाग-1 व भाग-2 में वर्णित धाराओं/अधिनियमों के अंतर्गत उद्भूत समस्त आपराधिक प्रकरण/परिवाद जो राजस्व तहसील सतना की क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायत के अंतर्गत आते हैं, को छोड़कर) समस्त नियमित आपराधिक एवं परिवाद पर कायम आपराधिक मामले।
5	सुश्री वंदना गालवीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सतना (म०प्र०)	आरक्षी केन्द्र-कोठी	(A) -आरक्षी केन्द्र कोठी के सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले (ग्राम न्यायालय अधिनियम-2008 की पहली अनुसूची के भाग-1 व भाग-2 में वर्णित धाराओं/अधिनियमों के अंतर्गत उद्भूत समस्त आपराधिक प्रकरण/परिवाद जो राजस्व तहसील सतना की क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायत के अंतर्गत आते हैं, को छोड़कर) समस्त नियमित आपराधिक एवं परिवाद पर कायम आपराधिक मामले। (B) -आरक्षी केन्द्र कोठी की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले द०प्र०स० की धारा 125 लगायत 128 के आधीन भरण-पोषण दिलाए जाने संबंधी आवेदन एवं दा० मुस्मिल बूमेन अधि० 1986 तथा घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम-2005 के आधीन प्रस्तुत आवेदन। (फैमिली कोर्ट की अधिकारिता को छोड़कर) (C) -समय-समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण।
6	श्रीमती पूर्णिमा सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सतना(म०प्र०)	आरक्षी केन्द्र-अजाक एवं कोटर	(A) -आरक्षी केन्द्र अजाक एवं कोटर के सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले (ग्राम न्यायालय अधिनियम-2008 की पहली अनुसूची के भाग-1 व भाग-2 में वर्णित धाराओं/अधिनियमों के अंतर्गत उद्भूत समस्त आपराधिक प्रकरण/परिवाद जो राजस्व तहसील सतना की क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायत के अंतर्गत आते हैं, को छोड़कर) समस्त नियमित आपराधिक एवं परिवाद पर कायम आपराधिक मामले। (B) -आरक्षी केन्द्र अजाक एवं कोटर की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले द०प्र०स० की धारा 125 लगायत 128 के आधीन भरण-पोषण दिलाए जाने संबंधी आवेदन एवं दा० मुस्मिल बूमेन अधि० 1986 तथा घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम-2005 के आधीन प्रस्तुत आवेदन। (फैमिली कोर्ट की अधिकारिता को छोड़कर) (C) -समय-समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण।
7	श्रीमती कामिनी प्रजापति न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सतना (म०प्र०)	आरक्षी केन्द्र-सामापुर	(A) -आरक्षी केन्द्र समापुर के सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले (ग्राम न्यायालय अधिनियम-2008 की पहली अनुसूची के भाग-1 व भाग-2 में वर्णित धाराओं/अधिनियमों के अंतर्गत उद्भूत समस्त आपराधिक प्रकरण/परिवाद जो राजस्व तहसील सतना की क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायत के अंतर्गत आते हैं, को छोड़कर)

			समस्त नियमित आपराधिक एवं परिवाद पर कायम आपराधिक मामले।
			(B) -आरक्षी केन्द्र सभापुर की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले द०प्र०सं० की धारा 125 लगायत 128 के आधीन भरण-पोषण दिलाए जाने संबंधी आवेदन एवं दा० मुस्मिल बूमेन अधि० 1986 तथा घरेलू हिसा से महिला संरक्षण अधिनियम-2005 के आधीन प्रस्तुत आवेदन। (फैमिली कोर्ट की अधिकारिता को छोड़कर)
			(C) -समय-समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण।
		आरक्षी केन्द्र-कोलगावा	(D) -आरक्षी केन्द्र कोलगावा सतना के सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त परिवाद पर कायम आपराधिक मामले जिनमें धारा-138 पराकाम्य लिखित अधिनियम से संबंधित मामले भी शामिल हैं।
8	श्री शैलेन्द्र उडके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सतना (म०प्र०)	(1) आरक्षी केन्द्र-सिविल लाइन	(A) -आरक्षी केन्द्र सिविल लाइन के सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले (ग्राम न्यायालय अधिनियम-2008 की पहली अनुसूची के भाग-1 व भाग-2 में वर्णित धाराओं/अधिनियमों के अंतर्गत उद्भूत समस्त आपराधिक प्रकरण/परिवाद जो राजस्व तहसील सतना की क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायत के अंतर्गत आते हैं, को छोड़कर) समस्त नियमित आपराधिक एवं परिवाद पर कायम आपराधिक मामले। (B) -आरक्षी केन्द्र सिविल लाइन की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले द०प्र०सं० की धारा 125 लगायत 128 के आधीन भरण-पोषण दिलाए जाने संबंधी आवेदन एवं दा० मुस्मिल बूमेन अधि० 1986 तथा घरेलू हिसा से महिला संरक्षण अधिनियम-2005 के आधीन प्रस्तुत आवेदन। (फैमिली कोर्ट की अधिकारिता को छोड़कर)
9	श्रीमती मीता पवार जदेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सतना (म०प्र०)	(3) आरक्षी केन्द्र-धारकुण्डी (अमुआ)	(C) -समय-समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण। (A) -आरक्षी केन्द्र धारकुण्डी(अमुआ) के सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले (ग्राम न्यायालय अधिनियम-2008 की पहली अनुसूची के भाग-1 व भाग-2 में वर्णित धाराओं/अधिनियमों के अंतर्गत उद्भूत समस्त आपराधिक प्रकरण/परिवाद जो राजस्व तहसील सतना की क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायत के अंतर्गत आते हैं, को छोड़कर) समस्त नियमित आपराधिक एवं परिवाद पर कायम आपराधिक मामले। (B) -आरक्षी केन्द्र धारकुण्डी(अमुआ) की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले द०प्र०सं० की धारा 125 लगायत 128 के आधीन भरण-पोषण दिलाए जाने संबंधी आवेदन एवं दा० मुस्मिल बूमेन अधि० 1986 तथा घरेलू हिसा से महिला संरक्षण अधिनियम-2005 के आधीन प्रस्तुत आवेदन। (फैमिली कोर्ट की अधिकारिता को छोड़कर)
10	श्रीमती अदिति कुमार शर्मा,	(3) आरक्षी केन्द्र-महिला थाना	(C) -समय-समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण। (A) -आरक्षी केन्द्र महिला थाना के सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले (ग्राम न्यायालय अधिनियम-2008

	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सतना (म0प्र0)		<p>की पहली अनुसूची के भाग—1 व भाग—2 में वर्णित धाराओं / अधिनियमों के अंतर्गत उद्भूत समस्त आपराधिक प्रकरण / परिवाद जो राजस्व तहसील सतना की क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत आने वाली जनपद पचायत के अंतर्गत आते हैं, को छोड़कर) समस्त नियमित आपराधिक एवं परिवाद पर कायम आपराधिक मामले।</p> <p>(B)-आरक्षी केन्द्र महिला थाना की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले द0प्र0स0 की धारा 125 लगायत 128 के आधीन भरण-पोषण दिलाए जाने संबंधी आवेदन एवं दा० मुस्मिल बूमेन अधि० 1986 तथा घरेलू हिसा से महिला संरक्षण अधिनियम-2005 के आधीन प्रस्तुत आवेदन। (फैमिली कोर्ट की अधिकारिता को छोड़कर)</p> <p>(C)-समय—समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण।</p>
11	श्रीमती सुभागी पालो दत्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सतना (म0प्र0)	—	समय—समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण।
12	श्री शिरीष शुक्ला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सतना (म0प्र0)	—	समय—समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण।
13	श्रीमती संगीता शुक्ला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सतना (म0प्र0)	—	समय—समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण।
14	सुश्री श्वेता सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सतना (म0प्र0)	आरक्षी केन्द्र— कोतवाली, कोठी, कोटर, समापुर, जैतवारा एवं धारकुण्डी	<p>(A)-उपरोक्त थानों से उत्पन्न होने वाले ऐसे आपराधिक प्रकरण जिनमें महिलाओं के विरुद्ध अपराध किया गया हो जो भा.द.सं. की धारा—354, 354 ए से 354 ई, 306, 363, 366, 366ए, 366 बी, 376, 376 ए से 376 ई, 494, 498ए एवं 509, घरेलू हिसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 12 एवं 31, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (महिलाओं से संबंधित)।</p> <p>(B)-समय—समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण।</p>
15	सुश्री रूपा मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सतना (म0प्र0)	आरक्षी केन्द्र—कोलगांव, जी.आर.पी. चौकी, यातायात, सिविल लाइन, अजाक थाना	<p>(A)-उपरोक्त थानों से उत्पन्न होने वाले ऐसे आपराधिक प्रकरण जिनमें महिलाओं के विरुद्ध अपराध किया गया हो जो भा.द.सं. की धारा—354, 354 ए से 354 ई, 306, 363, 366, 366ए, 366 बी, 376, 376 ए से 376 ई, 494, 498ए एवं 509, घरेलू हिसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 12 एवं 31, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (महिलाओं से संबंधित)।</p> <p>(B)-समय—समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण।</p>

16	श्री अजय कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नागौद	(1) आरक्षी केन्द्र – नागौद	<p>(A)—आरक्षी केन्द्र नागौद के सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले (ग्राम न्यायालय अधिनियम-2008 की पहली अनुसूची के भाग-1 व भाग-2 में वर्णित धाराओं/अधिनियमों के अंतर्गत उद्भूत समस्त आपराधिक प्रकरण/परिवाद जो राजस्व तहसील सतना की क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायत के अंतर्गत आते हैं, को छोड़कर) समस्त नियमित आपराधिक एवं परिवाद पर कायम आपराधिक मामले।</p> <p>(B)—आरक्षी केन्द्र नागौद की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले द०प्र०स० की धारा 125 लगायत 128 के आधीन भरण—पोषण दिलाए जाने संबंधी आवेदन एवं द० मुस्मिल बूमेन अधि० 1986 तथा घरेलू हिस्सा से महिला संरक्षण अधिनियम-2005 के आधीन प्रस्तुत आवेदन। (ग्राम न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर)</p> <p>(C)—समय—समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण।</p> <p>(D)—आबकारी विभाग वृत्त नागौद के समस्त प्रकरण।</p> <p>(E)— संपूर्ण तहसील नागौद में उद्भूत वन विधि, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम एवं माइनिंग लॉ से उत्पन्न सभी प्रकरण।</p>
		(1) राजस्व तह, नागौद की क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत आनेवाली जनपद पंचायत	<p>(A)—राजस्व तहसील नागौद की क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायत अंतर्गत (नगरनिगम/नगर पंचायत सीमा को छोड़कर) से ग्राम न्यायालय अधिनियम-2008 के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उद्भूत परिवाद एवं आपराधिक प्रकरण एवं विविध प्रकरण।</p>
17	श्री मनीष (जैन) तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नागौद	(1) आरक्षी केन्द्र—सिंहपुर	<p>(A)—आरक्षी केन्द्र सिंहपुर के सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले (ग्राम न्यायालय अधिनियम-2008 की पहली अनुसूची के भाग-1 व भाग-2 में वर्णित धाराओं/अधिनियमों के अंतर्गत उद्भूत समस्त आपराधिक प्रकरण/परिवाद जो राजस्व तहसील सतना की क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायत के अंतर्गत आते हैं, को छोड़कर) समस्त नियमित आपराधिक एवं परिवाद पर कायम आपराधिक मामले।</p> <p>(B)—आरक्षी केन्द्र सिंहपुर की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले द०प्र०स० की धारा 125 लगायत 128 के आधीन भरण—पोषण दिलाए जाने संबंधी आवेदन एवं द० मुस्मिल बूमेन अधि० 1986 तथा घरेलू हिस्सा से महिला संरक्षण अधिनियम-2005 के आधीन प्रस्तुत आवेदन। (ग्राम न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर)</p> <p>(C)—समय—समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण।</p>
18	श्रीमती श्वेता गौतम	(1) आरक्षी केन्द्र—जसो	<p>(A)—आरक्षी केन्द्र जसो के सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले (ग्राम न्यायालय अधिनियम-2008 की पहली अनुसूची के भाग-1 व भाग-2 में वर्णित धाराओं/अधिनियमों के अंतर्गत उद्भूत समस्त आपराधिक प्रकरण/परिवाद जो राजस्व तहसील</p>

			<p>सतना की क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायत के अंतर्गत आते हैं, को छोड़कर) समस्त नियमित आपराधिक एवं परिवाद पर कायम आपराधिक मामले।</p> <p>(B)-आरक्षी केन्द्र जसो की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले द०प्र०स० की धारा 125 लगायत 128 के आधीन भरण-पोषण दिलाए जाने संबंधी आवेदन एवं द० मुस्मिल बूमेन अधि० 1986 तथा घरेलू हिसा से महिला संरक्षण अधिनियम-2005 के आधीन प्रस्तुत आवेदन। (ग्राम न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर)</p> <p>(C)-समय-समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण।</p>
19	श्रीमती राखी साहू न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मैहर	आरक्षी केन्द्र-मैहर	<p>(A)-आरक्षी केन्द्र मैहर के सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त नियमित आपराधिक एवं परिवाद पर कायम आपराधिक मामले जिनमें धारा-138 परकार्य लिखित अधिनियम से संबंधित मामले भी शामिल हैं।</p> <p>(B)-आरक्षी केन्द्र मैहर की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले द०प्र०स० की धारा 125 लगायत 128 के आधीन भरण-पोषण दिलाए जाने संबंधी आवेदन एवं द० मुस्मिल बूमेन अधि० 1986 तथा घरेलू हिसा से महिला संरक्षण अधिनियम-2005 के आधीन प्रस्तुत आवेदन।</p> <p>(C)-आबकारी विभाग वृत्त मैहर के समस्त प्रकरण।</p> <p>(D)-समय-समय पर अंतरित प्रकरणों का निराकरण।</p> <p>(E)- संपूर्ण तहसील मैहर में उद्भूत वन विधि, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम एवं माइनिंग लॉ से उत्पन्न सभी प्रकरण।</p>
20	श्री उमेश भगवती न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मैहर	(1) आरक्षी केन्द्र-मैहर देहात(नादन)	<p>(A)-आरक्षी केन्द्र मैहर देहात (नादन) के सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त नियमित आपराधिक एवं परिवाद पर कायम आपराधिक मामले एवं विविध मामले जिनमें धारा-138 परकार्य लिखित अधिनियम से संबंधित मामले भी शामिल हैं।</p> <p>(B)-आरक्षी केन्द्र मैहर देहात (नादन) की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले द०प्र०स० की धारा 125 लगायत 128 के आधीन भरण-पोषण दिलाए जाने संबंधी आवेदन एवं द० मुस्मिल बूमेन अधि० 1986 तथा घरेलू हिसा से महिला संरक्षण अधिनियम-2005 के आधीन प्रस्तुत आवेदन।</p> <p>(C)-समय-समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण।</p>
21	सुश्री हेमलता अहिरवार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मैहर	(1) आरक्षी केन्द्र-अमदरा	<p>(A)-आरक्षी केन्द्र अमदरा के सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त नियमित आपराधिक एवं परिवाद पर कायम आपराधिक मामले एवं विविध मामले जिनमें धारा-138 परकार्य लिखित अधिनियम से संबंधित मामले भी शामिल हैं।</p> <p>(B)-आरक्षी केन्द्र अमदरा की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले द०प्र०स० की धारा 125 लगायत 128 के आधीन भरण-पोषण दिलाए जाने संबंधी आवेदन एवं</p>

			<p>दा० मुस्मिल बूमेन अधि० 1986 तथा घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम-2005 के आधीन प्रस्तुत आवेदन।</p> <p>(C)-समय-समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण।</p>
22	श्री विशाल रिचारिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मैहर	(1) आरक्षी केन्द्र-बदेरा	<p>(A)-आरक्षी केन्द्र बदेरा के सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त नियमित आपराधिक एवं परिवाद पर कायम आपराधिक मामले एवं विविध मामले जिनमें धारा-138 परकार्य लिखित अधिनियम से संबंधित मामले भी शामिल हैं।</p> <p>(B)-आरक्षी केन्द्र बदेरा की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले द०प्र०स० की धारा 125 लगायत 128 के आधीन भरण-पोषण दिलाए जाने संबंधी आवेदन एवं दा० मुस्मिल बूमेन अधि० 1986 तथा घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम-2005 के आधीन प्रस्तुत आवेदन।</p> <p>(C)-समय-समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण।</p>
23	श्री कमलेश कुमार कोल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अमरपाटन	(1) आरक्षी केन्द्र- अमरपाटन	<p>(A)-आरक्षी केन्द्र अमरपाटन के सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त नियमित आपराधिक एवं परिवाद पर कायम आपराधिक मामले जिनमें धारा-138 परकार्य लिखित अधिनियम से संबंधित मामले भी शामिल हैं।</p> <p>(B)-आरक्षी केन्द्र अमरपाटन की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले द०प्र०स० की धारा 125 लगायत 128 के आधीन भरण-पोषण दिलाए जाने संबंधी आवेदन एवं दा० मुस्मिल बूमेन अधि० 1986 तथा घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम-2005 के आधीन प्रस्तुत आवेदन।</p> <p>(C)-आवाकारी विभाग वृत्त अमरपाटन के समस्त प्रकरण।</p> <p>(D)-समय-समय पर अंतरित प्रकरणों का निराकरण।</p> <p>(E)- संपूर्ण तहसील अमरपाटन में उद्भूत वन विधि, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम एवं माइनिंग लौं से उत्पन्न सभी प्रकरण।</p>
24	श्री विनोद कुमार वर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अमरपाटन	(2) आरक्षी केन्द्र- रामनगर	<p>(A)-आरक्षी केन्द्र रामनगर के सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त नियमित आपराधिक एवं परिवाद पर कायम आपराधिक मामले जिनमें धारा-138 परकार्य लिखित अधिनियम से संबंधित मामले भी शामिल हैं।</p> <p>(B)-आरक्षी केन्द्र रामनगर की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले द०प्र०स० की धारा 125 लगायत 128 के आधीन भरण-पोषण दिलाए जाने संबंधी आवेदन एवं दा० मुस्मिल बूमेन अधि० 1986 तथा घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम-2005 के आधीन प्रस्तुत आवेदन।</p> <p>(C)-समय-समय पर अंतरित प्रकरणों का निराकरण।</p>
25	श्री विनय सोनी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अमरपाटन	(2) आरक्षी केन्द्र-ताला	<p>(A)-आरक्षी केन्द्र ताला के सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त नियमित आपराधिक एवं परिवाद</p>

			<p>पर कायम आपराधिक मामले जिनमें धारा—138 परकाम्य लिखित अधिनियम से संबंधित मामले भी शामिल हैं।</p> <p>(B)-आरक्षी केन्द्र ताला की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले द०प्र०स० की धारा 125 लगायत 128 के आधीन भरण-पोषण दिलाए जाने संबंधी आवेदन एवं दा० मुस्मिल बूमेन अधि० 1986 तथा घरेलू हिसा से महिला संरक्षण अधिनियम—2005 के आधीन प्रस्तुत आवेदन।</p> <p>(C)-समय—समय पर अंतरित प्रकरणों का निराकरण।</p>
26	श्रीमती बबिता होरा शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रामपुर बघेलान	आरक्षी केन्द्र-रामपुर बघेलान	<p>(A)-आरक्षी केन्द्र रामपुर बघेलान के सीमा क्षेत्र से उदभूत समस्त प्रकार के नियमित आपराधिक मामले।</p> <p>(B)-समय—समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण।</p> <p>(C)- संपूर्ण तहसील रामपुर बघेलान में उदभूत वन विधि, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम एवं माइनिंग लॉ से उत्पन्न सभी प्रकरण।</p>
27	मुकेश कुमार शिवहरे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रामपुर बघेलान	(1) आरक्षी केन्द्र-रामपुर बघेलान	<p>(A)-आरक्षी केन्द्र-रामपुर बघेलान की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा—138 परकाम्य लिखित अधिनियम से संबंधित मामले एवं परिवाद पत्र से उत्पन्न होने वाले आपराधिक मामले।</p> <p>(B)-आरक्षी केन्द्र रामपुर बघेलान की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले द०प्र०स० की धारा 125 लगायत 128 के आधीन भरण-पोषण दिलाए जाने संबंधी आवेदन एवं दा० मुस्मिल बूमेन अधि० 1986 तथा घरेलू हिसा से महिला संरक्षण अधिनियम—2005 के आधीन प्रस्तुत आवेदन।</p> <p>(C)-समय—समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण।</p>
28	सुश्री प्रतिभा वास्कले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रामपुर बघेलान	—	समय—समय पर अंतरित प्रकरणों का निराकरण।
29	सौरम गोरखामी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चित्रकूट	(1) आरक्षी केन्द्र नयागांव एवं बरौंधा संपूर्ण तहसील चित्रकूट	<p>(A)—आरक्षी केन्द्र नयागांव एवं बरौंधा के सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त नियमित आपराधिक एवं परिवाद पर कायम आपराधिक मामले जिनमें धारा—138 परकाम्य लिखित अधिनियम से संबंधित मामले भी शामिल हैं।</p> <p>(B)-आरक्षी केन्द्र नयागांव एवं बरौंधा की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले द०प्र०स० की धारा 125 लगायत 128 के आधीन भरण-पोषण दिलाए जाने संबंधी आवेदन एवं दा० मुस्मिल बूमेन अधि० 1986 तथा घरेलू हिसा से महिला संरक्षण अधिनियम—2005 के आधीन प्रस्तुत आवेदन।</p> <p>(C)-समय—समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण।</p> <p>(D)- संपूर्ण तहसील चित्रकूट में उदभूत वन विधि, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम एवं माइनिंग लॉ से उत्पन्न सभी प्रकरण।</p>
30	सुश्री रवीना चौधरी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम	(1) आरक्षी केन्द्र मङ्गगढ़	<p>(A)—आरक्षी केन्द्र मङ्गगढ़ के सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त नियमित आपराधिक एवं परिवाद</p>

	श्रेणी चित्रकूट		पर कायम आपराधिक मामले जिनमें धारा-138 परकाम्य लिखित अधिनियम से संबंधित मामले भी शामिल है। (B) -आरक्षी केन्द्र मझगवां की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले द०प्र०स० की धारा 125 लगायत 128 के आधीन भरण-पोषण दिलाए जाने संबंधी आवेदन एवं द० मुस्सिम बूमेन अधि० 1986 तथा घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम-2005 के आधीन प्रस्तुत आवेदन। (C) -समय-समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण।
31	श्री नीलेन्द्र कुमार तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, उचेहरा	आरक्षी केन्द्र-उचेहरा संपूर्ण तहसील उचेहरा	(A) -आरक्षी केन्द्र उचेहरा के सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त नियमित आपराधिक एवं परिवाद पर कायम आपराधिक मामले जिनमें धारा-138 परकाम्य लिखित अधिनियम से संबंधित मामले भी शामिल है। (B) -आरक्षी केन्द्र उचेहरा की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले द०प्र०स० की धारा 125 लगायत 128 के आधीन भरण-पोषण दिलाए जाने संबंधी आवेदन एवं द० मुस्सिम बूमेन अधि० 1986 तथा घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम-2005 के आधीन प्रस्तुत आवेदन। (C) -समय-समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण। (D) - संपूर्ण तहसील उचेहरा में उद्भूत वन पिथि वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम एवं माइनिंग लॉ से उत्पन्न सभी प्रकरण।

नोट:-

- (1) परिशिष्ट 'अ' परिशिष्ट 'ब' एवं परिशिष्ट 'स' कार्य विभाजन पत्रक के ही अंग रहेंगे।
- (2) सतना जिले के सभी थानों से उत्पन्न आपराधिक मामलों की खात्मा एवं खारिजी रिपोर्ट पूर्व वर्णित को छोड़कर का निराकरण संबंधित थाने के बावत क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा।
- (3) सतना नगर निगम सीमा क्षेत्र के अंतर्गत चलित न्यायालय सी०जे०एम० की पूर्व अनुमति से तथा बाहर संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट आवश्यकतानुसार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सतना को पूर्व सूचना देते हुए अपने क्षेत्राधिकार में चलित न्यायालय लगा सकेंगे।
- (4) स्थानांतरण की दशा में उत्तरवर्ती न्यायिक मजिस्ट्रेट को वे सभी शक्तियां प्राप्त होंगी, जो उनके पूर्वाधिकारी को इस कार्य वितरण आदेश में प्राप्त हैं।
- (5) अवकाश, स्थानांतरण एवं अन्य कारणों से अनुपस्थिति इत्यादि की दशा में आवश्यक दाँड़िक कार्य, रिमांड, जमानत, आवश्यक सुरुद्दनामा आदि प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा परिशिष्ट 'स' अनुसार सम्पादित किए जाएंगे।
- (6) किसी भी कारण से किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के अनुपस्थित रहने पर उनके प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट को सक्षिप्त विचारणीय प्रकरण में, जिसमें अभियुक्त अपराध स्वीकार करना चाहता है, के निराकरण करने में सक्षम रहेंगे।
- (7) ऐसे जिला सतना मुख्यालय में जो दाँड़िक न्यायालय वर्तमान में रिक्त हैं, उन न्यायालयों द्वारा जारी किये गये स्थायी गिरफतारी वारंट, गिरफतारी वारंट के परिपालन में गिरफतार कर पेश करने पर या अभियुक्त के स्वयं उपरिथित होने पर **श्री शिरीष शुक्ला, जे.एम.एफ.सी.** सतना संबंधित प्रकरण बुलाकर निराकरण करेंगे।
- (8) ऐसे जिला सतना मुख्यालय जो दाँड़िक न्यायालय वर्तमान में रिक्त हैं, उनके सदृश में माननीय अपीलीय न्यायालयों से प्राप्त होने वाले निर्देशों का पालन, अपीलीय न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के पालन में सजा वारंट अथवा जेल वारंट का बनाया जाना इत्यादि सभी संबंधित कार्य एवं उनके न्यायालयों के द्वारा पारित धारा-125 एवं 128 द०प्र०स० के आदेशों के तहत जमा की जाने वाली एवं वापिसी से संबंधित समस्त कार्यवाही एवं आवश्यक कार्यों का विचारण **श्री शिरीष शुक्ला, जे.एम.एफ.सी.** सतना करेंगे, उनकी अनुपस्थिति में परिशिष्ट 'स' में दर्शाये गये प्रभार के अनुसार किये जावेंगे।

83। तहसील मुख्यालय मैहर में जो दाँड़िक न्यायालय वर्तमान में रिक्त हैं, उन न्यायालयों द्वारा जारी किये गये स्थायी गिरफतारी वारंट, गिरफतारी वारंट एवं माननीय अपीलीय न्यायालयों

से प्राप्त होने वाले निर्देशों का पालन, अपीलीय न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के पालन में सजा वारंट अथवा जेल वारंट का बनाया जाना इत्यादि सभी संबंधित कार्य एवं उनके न्यायालयों के द्वारा पारित धारा-125 एवं 128 द०प्र०स० के आदेशों के तहत जमा की जाने वाली एवं वापिसी से संबंधित समस्त कार्यवाही एवं आवश्यक कार्यों का विचारण श्री राखी साहू जे०ए०ए०सी० मैंहर करेंगे, उनकी अनुपस्थिति में परिशिष्ट 'स' में दर्शाये गये प्रभार के अनुसार किये जावेंगे।

8ब- तहसील मुख्यालय अमरपाटन में जो दाण्डिक न्यायालय वर्तमान में रिक्त हैं, उन न्यायालयों द्वारा जारी किये गये स्थायी गिरफतारी वारंट, गिरफतारी वारंट एवं माननीय अपीलीय न्यायालयों से प्राप्त होने वाले निर्देशों का पालन, अपीलीय न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के पालन में सजा वारंट अथवा जेल वारंट का बनाया जाना इत्यादि सभी संबंधित कार्य एवं उनके न्यायालयों के द्वारा पारित धारा-125 एवं 128 द०प्र०स० के आदेशों के तहत जमा की जाने वाली एवं वापिसी से संबंधित समस्त कार्यवाही एवं आवश्यक कार्यों का विचारण श्री कमलेश कुमार कोल, जे०ए०ए०सी० अमरपाटन करेंगी, उनकी अनुपस्थिति में परिशिष्ट 'स' में दर्शाये गये प्रभार के अनुसार किये जावेंगे।

8स- तहसील मुख्यालय नागौद में जो दाण्डिक न्यायालय वर्तमान में रिक्त हैं, उन न्यायालयों द्वारा जारी किये गये स्थायी गिरफतारी वारंट, गिरफतारी वारंट एवं माननीय अपीलीय न्यायालयों से संबंधित समस्त कार्यवाही एवं आवश्यक कार्यों का विचारण श्री अजय कुमार जे०ए०ए०सी० नागौद करेंगे, उनकी अनुपस्थिति में परिशिष्ट 'स' में दर्शाये गये प्रभार के अनुसार किये जावेंगे।

8द- तहसील मुख्यालय रामपुर बाघेलान में जो दाण्डिक न्यायालय वर्तमान में रिक्त हैं, उन न्यायालयों द्वारा जारी किये गये स्थायी गिरफतारी वारंट, गिरफतारी वारंट एवं माननीय अपीलीय न्यायालयों से प्राप्त होने वाले निर्देशों का पालन, अपीलीय न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के पालन में सजा वारंट अथवा जेल वारंट का बनाया जाना इत्यादि सभी संबंधित कार्य एवं उनके न्यायालयों के द्वारा पारित धारा-125 एवं 128 द०प्र०स० के आदेशों के तहत जमा की जाने वाली एवं वापिसी से संबंधित समस्त कार्यवाही एवं आवश्यक कार्यों का विचारण श्रीमती बिता होरा शर्मा, जे०ए०ए०सी० रामपुर बाघेलान करेंगे, उनकी अनुपस्थिति में परिशिष्ट 'स' में दर्शाये गये प्रभार के अनुसार किये जावेंगे।

8इ- तहसील मुख्यालय चित्रकूट में जो दाण्डिक न्यायालय वर्तमान में रिक्त हैं, उन न्यायालयों द्वारा जारी किये गये स्थायी गिरफतारी वारंट, गिरफतारी वारंट एवं माननीय अपीलीय न्यायालयों से संबंधित समस्त कार्यवाही एवं आवश्यक कार्यों का विचारण श्री सौरभ गोस्वामी, जे०ए०ए०सी० चित्रकूट करेंगे, उनकी अनुपस्थिति में परिशिष्ट 'स' में दर्शाये गये प्रभार के अनुसार किये जावेंगे।

(9) समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट उनके नाम के समक्ष वर्णित आरक्षी केन्द्र की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरणों में द०प्र०स०-1973 के अधीन उसमें निहित समस्त या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे।

(10) लवित आपराधिक प्रकरण इस आदेश से प्रभावित नहीं होंगे।

(11) सार्वजनिक अवकाश के दिनों में आवश्यक दाण्डिक कार्य संपादित करने के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर पृथक से आदेश प्रसारित किये जायेंगे।

(12) तहसील न्यायालय में पदस्थ वरिष्ठतम न्यायिक मजिस्ट्रेट आवश्यक दाण्डिक कार्य संपादित करने के संबंध में आपसी सामंजस्य स्थापित कर रिमाण्ड डियूटी की जानकारी प्रत्येक माह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रेषित करेंगे।

(13) आकस्मिक अवकाश की अवस्था में न्यायिक मजिस्ट्रेटगण की रिमाण्ड डियूटी में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सतना द्वारा परिवर्तन किया जा सकेगा।

(14) विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर को रिमाण्ड हेतु किशोर न्याय बोर्ड सतना के समक्ष ही प्रस्तुत किया जावेगा।

(15) म.प्र. डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम आदि के तहत पेश होने वाले अभियुक्तों की 15 दिन की प्राथमिक न्यायिक / पुलिस अभिरक्षा से संबंधित मामले संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचार योग्य होंगे।

(16) धारा-138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम के अन्तर्गत पूर्व में गठित किये गये विशेष न्यायालयों के रिक्त हो जाने के कारण उक्त न्यायालयों के द्वारा निराकृत किये गये प्रकरणों के संबंध में ग्रात होने वाले माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशों के पालन, प्रकरणों की राशि की वापिसी तथा अन्य किसी भी प्रकार के प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन पत्रों का निराकरण श्री शैलेन्द्र उड़िके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सतना द्वारा किया जावेगा।

(18) धारा-164 दं0प्र0सं0 के तहत कथन लेखबद्ध करने वाले प्रभारी मजिस्ट्रेट के अवकाश पर होने पर परिशिष्ट 'स' के अनुसार सम्पादित किया जावेगा। यदि परिशिष्ट 'स' में अग्रिम प्रभार के न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास उस संबंधित थाना ही कार्य विभाजन में हो तो आगामी कालम में उल्लिखित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सम्पादित किया जावेगा।

(19) माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के पृष्ठांकन कमाक-बी/4858/दो-15-18/2001 जबलपुर, दिनांक 25 नवम्बर, 2010 के आदेशानुसार न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय सतना/नागौद अपने अधिकारिता के संबंध में ग्राम न्यायालय का कार्य सम्पादन करेंगे। ग्राम न्यायालय अधिनियम-2008 के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उद्भूत परिवाद एवं आपराधिक प्रकरण संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार के आरक्षी केन्द्र के उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों में सम्मिलित नहीं माने जावेगे।

माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा अनुमोदित

30/1 -

(राजेन्द्र प्रसाद शर्मा)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सतना (म.प्र.)

30/1 -

(अनीता खजुरिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सतना (म.प्र.)

(परिशिष्ट-अ)

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय दृष्टित स्टेट ऑफ कर्नाटक विरुद्ध शिवन्ना उर्फ तरकारी शिवन्ना (एस०एल०पी० किमीनल) 5703 / 2011 2014 LawSuit (SC) 374 में आदेश दिनांक 25.04.2014 में दिए गये दिशा निर्देशों के अनुरूप धारा-164 दं0प्र०सं० के अंतर्गत 'विकिटम ऑफ रेप' एवं पास्को अधिनियम तथा महिलाओं से संबंधित लैगिक अपराध के कथन अंकित करने हेतु निम्नांकित महिला न्यायिक मजिस्ट्रेटगण के मध्य कार्य विभाजन करती हैं:-

क्रमांक	न्यायिक मजिस्ट्रेट	कार्य विभाजन
01	02	03
1	श्रीमती शक्ती वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सतना	आरक्षी केन्द्र कोलगावा से उत्पन्न प्रकरणों में।
2	श्रीमती बंदना मालवीय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सतना	आरक्षी केन्द्र धारकुण्डी (अमुआ) एवं सिटी कोतवाली से उत्पन्न प्रकरणों में एवं सतना जिले के विशेष अधिनियम जिनका उल्लेख कार्य विभाजन में नहीं है।
3	श्रीमती पूर्णिमा सिंह बघेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सतना	आरक्षी केन्द्र महिला थाना एवं सभापुर से उत्पन्न प्रकरणों में।
4	श्रीमती कामिनी प्रजापति न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सतना	आरक्षी केन्द्र कोठी व जैतवारा से उत्पन्न प्रकरणों में।
5	श्रीमती मीता पवार जंडेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सतना	आरक्षी केन्द्र जी.आर.पी. एवं यातायात से उत्पन्न प्रकरणों में।
6	श्रीमती अदिति कुमार शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सतना	आरक्षी केन्द्र कोटर, अजाक एवं सिविल लाइन से उत्पन्न प्रकरणों में।
7	श्रीमती सागीता शुक्ला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सतना	आरक्षी केन्द्र मझगावा से उत्पन्न प्रकरणों में।
8	सुश्री प्रतिभा वास्कले, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रामपुर बाघेलान जिला सतना	आरक्षी केन्द्र रामपुर बाघेलान से उत्पन्न प्रकरणों में।
9	श्रीमती राखी साहू न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मैहर, सतना	आरक्षी केन्द्र मैहर देहात (नादन), अमदरा, रामनगर, ताला से उत्पन्न प्रकरणों में।
10	सुश्री हेमलता अहिरवार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मैहर, सतना	मैहर, बदेरा, उचेहरा, अमरपाटन से उत्पन्न प्रकरणों में।
11	श्रीमती मनीषा (जैन) तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नागौद, सतना	आरक्षी केन्द्र नागौद एवं जसो से उत्पन्न प्रकरणों में।
12	सुश्री श्वेता गौतम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नागौद, सतना	आरक्षी केन्द्र सिंहपुर से उत्पन्न प्रकरणों में।
13	सुश्री रवीना चौधरी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चित्रकूट, सतना	आरक्षी केन्द्र नयागांव एवं बरौंधा से उत्पन्न प्रकरणों में।

कंडिका—एक में वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में कंडिका—दो लगायत कंडिका—चार में वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा कमानुसार धारा—164 द०प्र०स० के अधीन सरवीकृति तथा कथन अभिलिखित किया जावेगा—

क्र.	कंडिका—एक	कंडिका—दो	कंडिका—तीन	कंडिका—चार
1	2	3	4	5
1	श्रीमती शक्ती वर्मा,	श्रीमती वदना मालवीय,	श्रीमती पूर्णिमा सिंह बघेल,	श्रीमती कामिनी प्रजापति,
2	श्रीमती वंदना मालवीय,	श्रीमती पूर्णिमा सिंह बघेल,	श्रीमती कामिनी प्रजापति,	श्रीमती मीता पवार जंदेल,
3	श्रीमती पूर्णिमा सिंह बघेल,	श्रीमती कामिनी प्रजापति,	श्रीमती मीता पवार जंदेल,	श्रीमती अदिति कुमार शर्मा,
4	श्रीमती कामिनी प्रजापति,	श्रीमती मीता पवार जंदेल,	श्रीमती अदिति कुमार शर्मा,	श्रीमती संगीता शुक्ला,
5	श्रीमती मीता पवार जंदेल,	श्रीमती शक्ती वर्मा,	श्रीमती पूर्णिमा सिंह बघेल,	श्रीमती पूर्णिमा सिंह बघेल,
6	श्रीमती अदिति कुमार शर्मा,	श्रीमती वदना मालवीय,	श्रीमती पूर्णिमा सिंह बघेल,	श्रीमती कामिनी प्रजापति,
7	श्रीमती संगीता शुक्ला,	श्रीमती पूर्णिमा सिंह बघेल,	श्रीमती कामिनी प्रजापति,	श्रीमती मीता पवार जंदेल,
8	सुश्री प्रतिभा वारकरे,	श्रीमती शक्ती वर्मा,	श्रीमती अदिति कुमार शर्मा,	श्रीमती संगीता शुक्ला,
9	श्रीमती राखी साहू,	सुश्री हेमलता अहिरवार,	श्रीमती वदना मालवीय,	श्रीमती पूर्णिमा सिंह बघेल,
10	सुश्री हेमलता अहिरवार,	श्रीमती राखी साहू,	श्रीमती मीता पवार जंदेल,	श्रीमती अदिति कुमार शर्मा,
11	श्रीमती मनीषा(जैन) तिवारी,	सुश्री इवेता गौतम,	श्रीमती शक्ती वर्मा,	श्रीमती मीता पवार जंदेल,
12	सुश्री इवेता गौतम,	श्रीमती मनीषा(जैन) तिवारी,	श्रीमती संगीता शुक्ला,	श्रीमती शक्ती वर्मा,
13	सुश्री रवीना चौधरी,	श्रीमती मीता पवार जंदेल,	श्रीमती शक्ती वर्मा,	श्रीमती वदना मालवीय,

नोट—1— उपरोक्त न्यायिक मजिस्ट्रेटों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत के परिप्रेक्ष्य में जिस दिनांक को आरक्षी केन्द्र द्वारा धारा—164 द०प्र०स० के अधीन कथन विकिटम ऑफ रेप को पेश किया जावे, उसी दिनांक को ही अविलम्ब उसका कथन अकित करें।

2— उपरोक्त न्यायिक मजिस्ट्रेटों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत के परिप्रेक्ष्य मामले में धारा—164 द०प्र०स० के अधीन अभिलिखित कथन की सत्यप्रति मामले के विवेचक को इस निर्देश के साथ प्रदान की जावे कि उक्त कथन को वे मामले में अभियोग पत्र प्रस्तुत होने तक उसे गोपनीय रखेंगे।

3— यदि परिस्थितिवश कंडिका—1 में वर्णित पीटासीन अधिकारी एवं उनके न्यायालय के कमशः सभी प्रभारी अधिकारी अवकाश पर या किसी अन्य कारणवश अनुपस्थित रहते हैं तो इस परिस्थिति में धारा—164 द०प्र०स० के अतंगत उपरोक्त कथन जिला मुख्यालय पर उपलब्ध वरिष्ठतम महिला मजिस्ट्रेट के द्वारा और उनकी अनुपस्थिति में जिला मुख्यालय में उपलब्ध मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अतिरिक्त मुख्यालय में कार्यरत वरिष्ठतम न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित किया जावेगा।

30/-
(अनीता खजुरिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सतना म.प्र.

(परिशिष्ट-ब)

न्यायिक मजिस्ट्रेटगण निम्नानुसार धारा-164 द०प्र०स० के अधीन संस्वीकृतियां तथा कथन (परिशिष्ट 'अ' में उल्लिखित मामलों को छोड़कर) अभिलिखित करेंगे :-

क्रमांक	न्यायिक मजिस्ट्रेट	कार्य विभाजन
1	श्री भूपेश कुमार मिश्रा,	आरक्षी केन्द्र सिविल लाइन, कोठी, कोटर, जी.आर.पी. एवं अजाक से उत्पन्न प्रकरणों में।
2	श्री शैलेन्द्र उइके,	आरक्षी केन्द्र, कोतवाली, मझगवां व धारकुण्डी(अमुआ) से उत्पन्न प्रकरणों में।
3	श्री शिरीष शुक्ला	आरक्षी केन्द्र कोलगवां, यातायात, सभापुर, जैतवारा एवं महिला थाना से उत्पन्न प्रकरणों में।
4	श्री सौरभ गोस्वामी,	आरक्षी केन्द्र मझगवां से उत्पन्न प्रकरणों में।
5	सुश्री रवीना चौधरी,	आरक्षी केन्द्र नयागांव, बरौंधा से उत्पन्न प्रकरणों में।
6	श्री मुकेश कुमार शिवहरे	आरक्षी केन्द्र रामपुर बाघेलान से उत्पन्न प्रकरणों में।
7	श्री विशाल रिछारिया	आरक्षी केन्द्र मैहर देहात (नादन), अमदरा से उत्पन्न प्रकरणों में।
8	श्री उमेश भगवती	आरक्षी केन्द्र मैहर, बदेरा व उचेहरा से उत्पन्न प्रकरणों में।
9	श्री अजय कुमार,	आरक्षी केन्द्र सिहपुर, जसो से उत्पन्न प्रकरणों में।
10	श्रीमती श्वेता गौतम,	आरक्षी केन्द्र नागौद से उत्पन्न प्रकरणों में।
11	श्री कमलेश कुमार कोल	आरक्षी केन्द्र-ताला एवं रामनगर से उत्पन्न प्रकरणों में।
12	श्री विनय सोनी	आरक्षी केन्द्र-अमरपाटन से उत्पन्न प्रकरणों में।

S// —
(अनीता खजुरिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सतना (म.प्र.)

(परिशिष्ट-स)

कंडिका-एक में वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में आवश्यक दाङिक कार्य कंडिका-दो में वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा व कंडिका-दो में वर्णित न्यायिक दण्डाधिकरी की अनुपस्थिति में कंडिका-तीन में वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा तथा कंडिका-तीन में वर्णित न्यायिक दण्डाधिकरी की अनुपस्थिति में कंडिका-चार में वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा आवश्यक दाङिक कार्य किया जाएगा।

क्र०	कंडिका-एक	कंडिका-दो	कंडिका-तीन	कंडिका-चार
1	श्रीमती अंगीता खलुरिया,	श्री शैलेन्द्र उड़के,	श्री भूपेश कुमार मिश्रा,	श्रीमती मीता पवार जंदेल,
2	श्रीमती शक्ती वर्मा,	श्री भूपेश कुमार मिश्रा,	सुश्री वदना मालवीय,	श्रीमती शुभांगी पालो दत्त,
3	श्री भूपेश कुमार मिश्रा,	सुश्री वदना मालवीय,	श्रीमती पूर्णिमा सिंह बघेल,	श्रीमती शक्ती वर्मा,
4	श्रीमती शुभांगी पालो दत्त,	श्रीमती पूर्णिमा सिंह बघेल,	श्रीमती कामिनी प्रजापति,	श्री शैलेन्द्र उड़के,
5	सुश्री वदना मालवीय,	श्रीमती कामिनी प्रजापति,	श्री शैलेन्द्र उड़के,	श्रीमती कामिनी प्रजापति,
6	श्रीमती पूर्णिमा सिंह बघेल,	श्री शैलेन्द्र उड़के,	श्रीमती मीता पवार जंदेल,	श्रीमती अदिति कुमार शर्मा,
7	श्रीमती कामिनी प्रजापति,	श्रीमती अदिति कुमार शर्मा,	श्री शिरीष शुक्ला,	श्रीमती संगीता शुक्ला,
8	श्री शैलेन्द्र उड़के,	श्री शिरीष शुक्ला,	श्रीमती संगीता शुक्ला,	सुश्री श्वेता सिंह,
9	श्रीमती मीता पवार जंदेल,	श्रीमती संगीता शुक्ला,	सुश्री श्वेता सिंह,	सुश्री सुषा मिश्रा,
10	श्रीमती अदिति कुमार शर्मा,	सुश्री श्वेता सिंह,	सुश्री रूपा मिश्रा,	श्रीमती शक्ती वर्मा,
11	श्री शिरीष शुक्ला,	श्री भूपेश कुमार मिश्रा,	सुश्री वदना मालवीय,	श्रीमती शुभांगी पालो दत्त,
12	श्रीमती संगीता शुक्ला,	सुश्री वदना मालवीय,	श्रीमती पूर्णिमा सिंह बघेल,	श्रीमती कामिनी प्रजापति,
13	सुश्री श्वेता सिंह,	सुश्री रूपा मिश्रा,	श्रीमती कामिनी प्रजापति,	श्री शैलेन्द्र उड़के,
14	सुश्री रूपा मिश्रा,	श्रीमती कामिनी प्रजापति,	श्री शैलेन्द्र उड़के,	श्रीमती मीता पवार जंदेल,
15	श्री कमलेश कुमार कोल,	श्री विनोद कुमार वर्मा,	श्री विनय सोनी,	सुश्री राखी राहू,
16	श्री विनोद कुमार वर्मा,	श्री विनय सोनी,	श्री कमलेश कुमार कोल,	श्री विशाल रिछारिया,
17	श्री विनय सोनी,	श्री कमलेश कुमार कोल,	श्री विनोद कुमार वर्मा,	श्री उमेश भगवती,
18	श्री सौरभ गोस्वामी,	सुश्री रवीना चौधरी,	श्री शैलेन्द्र उड़के,	श्रीमती मीता पवार जंदेल,
19	सुश्री रवीना चौधरी,	श्री सौरभ गोस्वामी,	श्रीमती पूर्णिमा सिंह बघेल,	श्री शिरीष शुक्ला,
20	सुश्री राखी साहू,	श्री उमेश भगवती,	श्री विशाल रिछारिया,	सुश्री हेमलता अहिरवार
21	श्री उमेश भगवती,	सुश्री राखी साहू,	सुश्री हेमलता अहिरवार	श्री विशाल रिछारिया,
22	श्री विशाल रिछारिया,	श्री उमेश भगवती,	सुश्री राखी साहू,	सुश्री हेमलता अहिरवार
23	सुश्री हेमलता अहिरवार	सुश्री राखी साहू,	श्री उमेश भगवती,	श्री विशाल रिछारिया,
24	श्री अजय कुमार	श्रीमती मनीषा(जैन) तिवारी	श्रीमती श्वेता गौतम,	सुश्री रूपा मिश्रा,
25	श्रीमती मनीषा(जैन) तिवारी	श्रीमती श्वेता गौतम,	श्री अजय कुमार	श्री शिरीष शुक्ला,
26	श्रीमती श्वेता गौतम,	श्रीमती मनीषा(जैन) तिवारी	श्री अजय कुमार	श्री भूपेश कुमार मिश्रा,
27	श्रीमती बविता होरा शर्मा,	श्री मुकेश कुमार शिवहरे,	सुश्री प्रतिभा वास्कले,	सुश्री श्वेता सिंह,
28	श्री मुकेश कुमार शिवहरे,	सुश्री प्रतिभा वास्कले,	श्रीमती बविता होरा शर्मा,	श्रीमती अदिति कुमार शर्मा,
29	सुश्री प्रतिभा वास्कले,	श्रीमती बविता होरा शर्मा,	श्री मुकेश कुमार शिवहरे,	श्रीमती मीता पवार जंदेल,
30	श्री नीलेन्द्र कुमार तिवारी,	सुश्री हेमलता अहिरवार	श्री उमेश भगवती,	श्री विशाल रिछारिया,

नोट:- 1— यदि परिस्थितिवश कंडिका-1 में वर्णित पीठासीन अधिकारी एवं उनके न्यायालय के कमशः तीनों प्रभारी अधिकारी अवकाश पर या किसी अन्य कारणवश अनुपस्थित रहते हैं तो इस परिस्थिति में उस न्यायालय का आवश्यक प्रकृति का समस्त कार्य अगली कंडिका में कमशः बढ़ते अनुसार उपलब्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित किया जावेगा।

2— न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, सतना के स्थानांतरण, अवकाश व अनुपस्थिति में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अतिरिक्त जिला मुख्यालय सतना के उपस्थिति वरिष्ठतम् न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा आवश्यक कार्य सम्पादित किया जावेगा।

3— न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, नागौद के अवकाश व अनुपस्थिति में नागौद मुख्यालय में उपस्थिति वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट आवश्यक कार्य सम्पादित करेंगे।

4— किशोर न्याय बोर्ड के आवश्यक कार्य और रिमाण्ड अवकाश के दिनों में अथवा अन्य कारणों से अनुपस्थिति की दशा में किशोर न्याय बोर्ड के अन्य सदस्यों द्वारा नियमानुसार सम्पादित किया जावेगा। इस संबंध में प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट आवश्यक आदेश, दिशा-निर्देश प्रसारित करेंगे।

पृष्ठांकन क्रमांक—

३।(८) / २२

सतना, दिनांक— २८।०५।२२

प्रतिलिपि:-

- १— माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, सतना।
- २— माननीय विशेष न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश, सतना/मैहर/अमरपाटन/नागौद/रामपुर बाघेलान।
- ३— समस्त ए.सी.जे.एम./न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सतना/मैहर/अमरपाटन नागौद/रामपुर बाघेलान/उचेहरा/चित्रकूट।
- ४— जिला मजिस्ट्रेट, सतना।
- ५— पुलिस अधीक्षक, सतना।
- ६— निरीक्षक, यातायात, सतना।
- ७— जिला अभियोजन अधिकारी, सतना।
- ८— बार एसोसियेशन, सतना।
- ९— जिला आबकारी अधिकारी, सतना।
- १०— डी.एफ.ओ.,(वन विभाग) सतना।
- ११— श्रम अधिकारी, सतना।
- १२— आयुक्ता, नगर निगम, सतना।
- १३— नियंत्रक/निरीक्षक, नापतौल विभाग, सतना।
- १४— उप संचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सतना।
- १५— क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सतना।
- १६— सिस्टम आफीसर, सतना की ओर मेमो की प्रति उपरोक्त वर्णित सभी प्राधिकारियों को ई-मेल के माध्यम से भेजने के निर्देश के साथ प्रेषित।

(अनीता खलुरिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सतना (म.प्र.)